रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D-221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 330] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 26, 1973/आश्विन 4, 1895

No. 330] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 26, 1973/ASVINA 4, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Banking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September 1973

S.O. 518(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Deposit Insurance Corporation (Amendment) Act, 1968 (56 of 1968), the Central Government hereby appoints the 1st day of October, 1973, as the day on which section 7 of the said Act shall come into force in the State of Jammu and Kashmir.

[No. F. 5/1/73-BO. I]

D M SUKTHANKAR, Director.

वित्त मंत्रालय

बैंकिंग विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1973

का०आ० 528(अ) —निक्षेप बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 56) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 1973 के अक्तूबर के प्रथम दिन को ऐसे दिन के रूप में नियत करती है जिस दिन उक्त अधिनियम की धारा 7 जम्मू-काश्मीर राज्य में प्रवृत्त होगी ।

[सं० का० 5/1/73—बी० ओ० I]

बी० ए० सुकथानकर,
निदेशक ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973